



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-27022026-270534  
CG-CG-E-27022026-270534

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 989]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947

No. 989]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

बिलासपुर, 25 फरवरी, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत अधिसूचना

**का.आ 1033;(अ).**—रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए की उपधारा (1) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (89 का 24) केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विषय रेल परियोजना अर्थात् **“बिलासपुर डिवीजन – जेएसजी-बीएसपी सेक्शन पर चाम्पा यार्ड में किमी.666/18-20 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 338 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण “** परियोजना (चाम्पा) के छत्तीसगढ़ राज्य में निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा; ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, यानि अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चाम्पा को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय, चाम्पा छत्तीसगढ़ को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अन अनुज्ञात कर सकेगा; उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक एवं अन्य ब्योरे उपलब्ध है हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची											
छत्तीसगढ़ राज्य में रेल लाईन-विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, “बिलासपुर डिवीजन – जेएसजी-बीएसपी सेक्शन पर चाम्पा यार्ड में किमी.666/18-20 पर मानवयुक्त नियंत्रण रेखा संख्या 338 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण” (जांजगीर-नैला जिला) के लिए अधिग्रहण किए जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण:-											
जिला का नाम:- जांजगीर-नैला											
तहसील का नाम:- चाम्पा											
क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे०)	अर्जित रकबा (हे०)	क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	खसरा नं.	कुल रकबा (हे०)	अर्जित रकबा (हे०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	चाम्पा	1.	1648 शामिल खसरा नं. 1652	5.731	0.036	1	चाम्पा	6.	1770/25	0.006	0.006
		2.	1783/2	0.022	0.018			कुल	0.1040		
		3.	1770/4	0.403	0.022						
		4.	1770/20	0.012	0.004						
		5.	1770/29	0.012	0.012						

**कुल भूमि (चाम्पा) – 0.1040 हे०**

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/बीएसपी/आरयूबी /एलसी-338/भूमि अधिग्रहण/20,/1]

संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

### NOTIFICATION

Bilaspur, the 25th February, 2026

#### **Notice under Section 20 A of the Railways Act 1989**

**S.O. 1033(E).**—In exercise of Powers conferred by sub section (1) of section 20A of the Railways Act 1989 (24 of 89) (hereinafter referred as the said act),the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for execution of Special Railway project, namely “Bilaspur Divn.: Construction of RUB in lieu of manned LC No.338 at Km.666/18-20 in CHAMPA YARD on JSG-BSP section” in the state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land; Any person interested in the said land may, within a period of 30 days for the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said act; Every objection shall be made to the competent Authority, namely, Sub- Divisional Officer (Revenue), Champa SDM office Champa , Chhattisgarh in writing ,and shall set out ground thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections; Any order made by the Competent Authority under sub-section(2) of section 20D of the said Act shall be final; The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE											
Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway project, namely, "Bilaspur Divn.: Construction of RUB in lieu of manned LC No.338 at Km.666/18-20 in CHAMPA YARD on JSG-BSP section" (for Janjgir-Naila District) in the State of Chhattisgarh.											
Name of District: Janjgir-Naila											
Name of Tahsil: Champa											
No.	Name of Village	No.	Khasra No.	Total Area	Area to be occupied (in Hect.)	No.	Name of Village	No.	Khasra No.	Total Area	Area to be occupied (in Hect.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Champa	1.	1648 included measles No. 1652	5.731	0.036	1	Champa	6.	1770/25	0.006	0.006
		2.	1783/2	0.022	0.018			7.	1771/13/क	0.006	0.006
		3.	1770/4	0.403	0.022						
		4.	1770/20	0.012	0.004						
		5.	1770/29	0.012	0.012						
									<b>Total</b>	<b>0.1040</b>	

**Total Land (Champa): 0.1040 Hectare**

[F. No.: DY. CE/GSU/BSP/RUB/LC-338/land acquisition/20A/1]

SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C